



पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या- ९७९४ /५०न०नि०

प्रेषक,

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री दिनेश प्रसाद सिंह, C/O-श्री अनुज कुमार,

मकान सं०-A/22, पीपुल्स कॉर्पोरेटिव कॉलोनी,

कंकड़बाग, पटना, बिहार।

मोबाईल सं०-9608146565

पटना, दिनांक- 12.11.2016 ई०।

विषय:- प्लान केस सं०-P/Jaganpura/PRN/G+3/26/2015 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-P/Jaganpura/PRN/G+3/26/2015 दिनांक-03.11.2015 के संदर्भ में दिनेश प्रसाद सिंह, C/O-श्री अनुज कुमार, कंकड़बाग, पटना भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-273 (अंश), थाना-फुलवारी शरीफ, थाना सं०-26, खाता सं०-106, मौजा-जगनपुरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 227.29 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 06.30 मीटर से 06.40 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रशंगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी

h

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन
Satyendra
10/10/16

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।